



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032020-218976
CG-MH-E-31032020-218976

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]
No. 141]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
अधिसूचना

मुंबई, 31 मार्च, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020

सं. फेमा 23(आर)/(3)/2020-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3), उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी) (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहा जाएगा।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) (ए) में "नौ महीने" इन शब्दों को "नौ महीने अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से, निर्धारित की गई ऐसी किसी अवधि के भीतर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार उप-विनियम (1) (ए) में "पंद्रह महीने" इन शब्दों को "पंद्रह महीने अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से, निर्धारित की गई ऐसी किसी अवधि के भीतर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. विनियम 9(1)(बी)में “नौ महीने अथवा पंद्रह महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो” इन शब्दों को “उक्त अवधि” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. विनियम 9(2)(ए) के परंतुक में “नौ महीने की अवधि” इन शब्दों को “उक्त अवधि” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली

[विज्ञापन-III/4/असा./529/19]

पाद टिप्पणी : विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23 (आर)/2015-आरबी) को दिनांक 12 जनवरी 2016 के सा.का.नि. सं.19 (अ) के मार्फत भारत के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया और 23 जून 2017 के सा.का.नि. सं. 635 (अ) द्वारा इसे संशोधित किया गया तथा उसे बाद में फेमा 23 (आर)/ 2015-आरबी) दिनांक 03 दिसंबर 2019 द्वारा संशोधित किया गया।

**RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st March, 2020

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2020

No. FEMA 23(R)/(3)/2020-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of section 7 and clause (b) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. Short title and commencement: -

These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2020.

2. In the Principal Regulations, in regulation 9, in sub-regulation (1) and sub-regulation (2)(a), for the words “nine months”, the words “nine months or within such period as may be specified by the Reserve Bank, in consultation with the Government, from time to time” shall be substituted. Similarly, in sub-regulation (1) (a), for the words “fifteen months”, the words “fifteen months or within such period as may be specified by the Reserve Bank, in consultation with the Government, from time to time” shall be substituted.

3. In Regulation 9 (1)(b), for the words “period of nine months or fifteen months, as the case may be”, the words “said period” shall be substituted.

4. In proviso to Regulation 9 (2)(a), for the words “period of nine months”, the words “said period” shall be substituted.

AJAY KUMAR, Regional Director, New Delhi

[ADVT. III/4/Exty./529/19]

Foot Note : The Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015- RB dated January 12, 2016] were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.19 (E) dated January 12, 2016 in Part II, Section 3, sub-Section (i), amended vide G.S.R. No. 635(E) dated June 23, 2017 and subsequently amended vide No. FEMA 23(R)/(2)/2019-RB.dated December 03, 2019.